शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

बाल श्रम सुधार : कानून, नीतियां व कार्यक्रम

प्राप्तिः 19.05.2022
स्वीकृतः 05.06.2022

39

डॉ० अर्चना
राजनीति विज्ञान विभाग
श्री कुन्द कुन्द जैन पी०जी० कॉलेज
खतौली, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
ईमेलः *archnabaliyan78@gmail.com*

सारांश

बाल श्रमिकों की स्थिति, शिक्षा, जीवनस्तर के साथ साथ सरकार की नीतियों पर भी निर्भर करती है। बाल श्रम सुधारों के प्रति हमारी सरकार हमेशा से उदासीन रही है। संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर लगाना कानूनी अपराध घोषित किया गया है। उसके उपरांत भी 200 सर्वेक्षित बाल श्रमिकों में 52.5 प्रतिशत बाल श्रमिक इस बात को नहीं जानते हैं कि बाल श्रम अपराध है।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी तथा गैर सरकारी उपायों के बावजूद हम बाल श्रम का उन्मूलन करने में असफल रहे हैं।

बाल मजदूरी रोकने के लिये हमें अधिक समर्पित और संगठित प्रयास करने होंगे। भारत श्रम उन्मूलन संबंधी कानूनों की निगरानी करने वाली समितियों और कार्यान्वन तन्त्र को अधिक प्रभावी और अधिकार सम्पन्न बनाना पडेगा, तभी यह सभी नीति कानून व कार्यक्रम सफल हो सकेंगे।

मुख्य बिन्दु

बल श्रम, कानून, नीतियां, मूलभूत अधिकार, शोषण, रणनीति, मानसिक व नैतिक अधिकार, रंग–धर्म, लिंग भेद, विकास, मौलिक अधिकार, प्रस्ताव, अधिनियम, राष्ट्रीय बाल नीति, शिक्षा, विश्व बाल सम्मेलन।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने, शोषण से बचाने, संरक्षण देने और उन्हें राष्ट्रीय निधि के रूप में पल्लवित होने के अवसर प्रदान करने हेतु अनेक प्रयास किये गये। उन्हें रंग–धर्म, लिंग–भेद के बिना शारीरिक, मानसिक, नैतिक आध्यात्मिक तथा सामाजिक उन्नति तथा गरिमा के विकास की सुविधायें प्रदान करने की काफी चेष्टायें की गयी। हमारे संविधान की धारा–45 में देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया। संविधान ही नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में मुख्तः धारा 15(3) द्वारा सरकार को बालकों के लिये अलग से कानून बनाने का अधिकार दिया गया और सरकार द्वारा इस प्रकार के कई कानून बनाये भी गये। धारा–23 द्वारा बालकों के क्रय–विक्रय एवं उनके द्वारा गैर–कानूनी तथा अनैतिक कार्य करने पर रोक लगाई गयी। साथ ही बालकों को भय

दिखाकर या बिना पारिश्रमिक काम कराना भी प्रतिबंधित किया गया। इसी प्रकार धारा 24 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित करने पर रोक लगी। इसके अतिरिक्त संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में धारा 33 द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास हेतु प्र्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के सरकार को निर्देश दिये गये। धारा 33(इ) में सरकार को बच्चों के बचपन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि उन्हें ऐसे कार्यों में लगाया जाये जो उनकी उम्र और स्वास्थ्य के लिये घातक हों।

बच्चों के मूलभूत अधिकारों के संबंध में संसार के लगभग सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि बच्चों के कुछ जन्मजात अधिकार हैं जो प्रत्येक दशा में उन्हें मिलने ही चाहिये। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुसार, इन अधिकारों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना और प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है "सभी राज्य स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक बालक को ऐसा जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिये प्र्याप्त हो" इसी प्रकार अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सभी राज्य बालक की शिक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हैं और धीरे–धीरे, समान अवसर के आधार पर इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।"

1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनायेंगे तथा सभी को उपलब्ध करायेंगे।

2. सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा को बढावा देंगे और इसे प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करायेंगे।

3. सभी बच्चों को शैक्षिक, व्यावसायिक सूचना और मार्गदर्शन सुलभ करायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र समझौते के अनुच्छेद 32 में बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा और उनको शोषण से बचाने के संबंध में ये स्पष्ट किया गया है कि–

1. सभी राज्य बच्चों को शोषण से रक्षा और ऐसे कार्य जो जोखिम भरे हों अथवा बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करते हों या बच्चे के स्वास्थ्य अथवा उसके मौलिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक अथवा सामाजिक विकास के लिये हानिकारक हों, उनसे बच्चों की रक्षा अधिकार को स्वीकार करते हैं।

2. वर्तमान अनुच्छेद को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये उचित दंड अथवा अन्य प्रतिबंधों की व्यवस्था।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को बच्चों के अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1990 में आयोजित विश्व बात सम्मेलन में विस्तार से चर्चा भी हुई और प्रत्येक बच्चे को सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक तथा संस्कृतिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया। मई 2001 में भी बच्चों के विकास पर उपयुक्त रणनीति तैयार करने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा विशेष महासभा बुलाई गयी। इस सभा में 170 देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया।

विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में न केवल शिशु मृत्यु दर अधिक है बल्कि उनमें कुपोषण, अशिक्षा, बीमारियों तथा बच्चों के मूलभूत अधिकारों का हनन है। बच्चों को शोषण और पीडा से बचाने के लिये सेवा में उनकी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्तें निर्धारित की गयी हैं।

1. बागान श्रमिक अधिनियम 1951
2. खान अधिनियम 1952
3. व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958
4. मोटर परिवहन अधिनियम 1961
5. बीडी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन अधिनियम

1974 में राष्ट्रीय बाल नीति प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें बच्चों को पर्याप्त शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ शोषण के विरूद्ध उन्हें संरक्षण प्रदान करने संबंधी उपाय करने पर जोर दिया गया। 1979 में गठित "गुरूपादस्वामी समिति" ने भी बाल श्रमिकों की समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र ही पर्याप्त एवं आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 में कहा गया है कि इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 हानिकारक उद्योग जैसे–कालीन, बुनाई, बीडी बनाने, सीमेंट उत्पादन, भवन निर्माण कार्य, माइका कटिंग, कपडों की बुनाई और रंगाई माचिस और विसफोटक सामग्री साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि जैसे नियोजन कार्य में काम पर रोक लगायी गयी है। जोखिम वाते व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्रों में भी उनको काम से रोकने हेतु कई नियम बनाये गये हैं।

27 जनवरी 1991 को जारी एक अधिसूचना के जरिये अधिनियम की सूची का काफी विस्तार किया गया है और इसमें उल्लेखित व्यवसायों और प्रक्रियाओं की संख्या बढाकर क्रमशः 13 और 15 कर दी गयी है।

वर्ष 1989 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा और इसके क्रियान्वयन हेतु सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। सितम्बर 1990 में राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान में श्रम मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से बाल श्रमिकों के संबंध में अध्ययन हेतु शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी जिसमें उन्हें यथा समय मुक्त कराकर उन्हें उनके एजेंडा (1998) में भी सभी बच्चों के लिये शिक्षा, पोषण और चिकित्सा की सुविधा हेतु विशेष प्रयास करने की प्रतिबद्धता वाले बच्चों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशेष कदम उठाये गये हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर देश में एक राष्ट्रीय बाल आयोग गठित किया जा रहा है, जो बच्चों के विकास और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये विशेष प्रयास करेगा। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के न्यायधीश होंगे तथा इसमें छ सदस्य होंगे। जिनमें प्रसिद्ध शिक्षाविद्, बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल देखरेख, बाल न्याय और बाल श्रम विशेषण तथा बाल मनोविज्ञान सम्मिलित होंगे। बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा और आवश्यक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिये संसद द्वारा बाल न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल अधिनियम, 2000) भी पारित किया जा चुका है, जो कि किशोर न्यायिक अधिनियम 1986 के स्थान पर बनाया गया है। विपत्ति में फंसे हुए बच्चों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2001 में निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा (1098) प्रारम्भ की है। इस सेवा का अभी भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है लेकिन आशा है कि निकट भविष्य में यह अत्याधिक कारगर और उपयोगी सेवा साबित हो सकेगी।

बालश्रम निवारण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश

बाल श्रम निवारण हेतु सरकार तथा स्वेच्छिक संगठनों द्वारा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त न कर पाने सेउपजी निराशा से ग्रस्त पर्यावरणविद विधिवेत्ता एम0जी0 मेहता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति बी0 एल0 हसारिया तथा न्यायमूर्ति एस0बी0 मजूमदार की खण्डपीठ ने 10 दिसम्बर 1996 को सुनाये गये एक क्रान्तिकारी फैसले में परिसंकटमय उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से निकालने, उनका पुनर्वास करने एवं गैर परिसंकटमय उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कार्यदशाओं को सुधारने एवंनियमित करने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये गये–

1. कार्यरत बाल श्रमिकों को काम से हटाये जाने पर उसके स्थान पर उसके परिवार के किसी एक व्यक्ति को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाये यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो प्रत्येक बाल श्रमिक के लिये सर्षजित निधि में 5000 रूपये का और अंशदान किया जाये।

2. यदि अभिभावक बाल श्रमिक को पढाने के लिये न भेजें तो उन्हें उपलब्ध कराये गये रोजगार से अथवा सृजित निधि से किये जा रहे भुगतान से वंचित कर दिया जाये।

3. बाल श्रमिक को किसी अच्छी संस्था में शिक्षा दिलाये जाये ताकि उसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करने हेतु औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ देश भर में फैले 2 लाख 93 हजार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2001–2002 से अनौपचारिक शिक्षा सक्षम विकल्प के रूप में शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक स्व अभिनव शिक्षा के रूप में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों को पूरे देश में मध्यान्ह भोजन योजना (1995) के अंतर्गत अनाज और पौष्टिक आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। उनकी स्वास्थ्य रक्षा हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण (1985) और पल्स पोलियो अभियान (1995) जैसे विशिष्ट कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

बाल श्रम से संबंधित संवैधनिक प्रावधान

बाल श्रम उन्मूलन और उन कार्य दशाओं और परिस्थितियों को जिनमें बाल काम करते हैं, विनियमित करने के लिये राष्ट्रीय इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता इस देश के संविधान के अनेक उपबंधों एवं अन्य नियमों में प्रकट हुई है।

संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति राष्ट्रीय सोच को प्रदर्शित करते हैं–

अनुच्छेद 21क

शिक्षा का अधिकार

राज्य छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बालकों, ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करें, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 23क

मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशेध

मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिशिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशेध

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालाक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाये।

अनुच्छेद 39(ड) और (च)

राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व–राज्य अपनी नीति का, विशिष्ट तया–इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से–

(ड) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पडे जो उनकी आयु का शक्ति के अनुकूल न हो।

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधायें दी जायें और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये।

अनुच्छेद 45

छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और

शिक्षा के लिये उपबंध

राज्य, सभी बालकों को छ वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा के लिये प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51क

खंड 'ट'

यदि माता–पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार के द्वारा बाल श्रमिकों के उत्थान के लिये कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। वर्तमान में बाल श्रमिकों की समस्या से निजात पाने के लिये सरकार ने स्कूली शिक्षा के प्रयास के लिये कुछ कदम उठाये हैं और भविष्य में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं जैसे–

1. बाल पुरूस्कार

राष्ट्रीय पुरूस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा दिये जाते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 4 से 15 वर्ष के बच्चों को पढाई, लिखाई, कला, संस्कृति, खेलकूद आदि में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये वर्ष 1996 से दिये जा रहे हैं।

2. समन्वित बाल विकास योजना

1975 में छह वर्ष तक के बच्चों तथा उनकी माताओं को पूरक पोषाहार टीकाकरण स्वास्थ्य जांच परामर्श तथा स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना। छह वर्ष से कम आयु के 16 करोड बच्चों में 2. 5 करोड बच्चों को सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

3. बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित

1992 में बेसहारा बच्चों को अभाव, ग्रस्तता, उपेक्षा, उत्पीडन और शोषण से मुक्ति दिलाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा बच्चों को आवास, पोषण, स्वास्थ्य रक्षा, साफ–सफाई, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा स्वयं सेवी संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

4. मध्याहन भोजन योजना 1995

सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था कराकर उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करना, 15 अगस्त 1995 से लागू इस योजना में प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख टन अनाज आवंटित किया जा रहा है।

5. नवोदय विद्यालय

ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था सहित छात्र–छात्राओं को निःशुल्क एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया। नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी स्तर की आधुनिक शिक्षा देना है।

6. सार्वभौमिक टीकाकरण

टीके से रोकी जा सकने वाली छह बीमारियों से शिशुओं और बच्चों को बचाकर बाल मृत्युदर में कमी लाना। वर्ष 1985 से 1990 के दौरान यह कार्यक्रम तीव्र गति से चलाया गया। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है।

7. राष्ट्रीय शिशु सदन योजना

गरीब, कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों की दिन में देंखभाल, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य की देखरेख, मन बहलाव आदि की व्यवस्था करना। इस योजना हेतु मार्च 1994 से 19. 94 करोड की राशि से राष्ट्रीय शिशु सदन चल रहे हैं जिनसे 3.73 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

8. पल्स पोलियो योजना

0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो निरोधी दवा पिलाकर उन्हें पोलियो मुक्त करना। इसके प्रत्येक दौर में करीब 16 करोड बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गयी है।

9. बालिका समृद्धि योजना

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में 15 अगस्त 1997 के बाद जन्मी बालिकाओं की शैक्षिक सहायता तथा उनकी माताओं को जन्म के समय अनुदान राशि उपलब्ध करना। 2 अक्टूबर 1997 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है।

10. उदिशा योजना

स्वास्थ्य, पोषण, बाल्यावस्था पूर्व शिक्षा और माता–पिता को प्रोत्साहन देकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। विश्व बैंक की सहायता से संचालित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को देश के चुने हुए क्षेत्रों में संचालित किया गया है।

11. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य

सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना। 15 अक्टूबर 1997 से लागू इस कार्यक्रम को क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग–अलग उत्पादनों का आवंटन किया गया है।

12. भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी

18 वर्ष तक की बालिकाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान कर (जिनके माता–पिता की आयु 60 वर्ष से ऊपर है) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 18 अक्टूबर 1998 से प्रारंभ की गयी यह योजना अभी प्रारंभिक तौर पर ही संचालित हो पायी है।

13. किशोरी शक्ति योजना

पढाई छोड देने वाली 11 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को पढाई पूरी कर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख करना। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों की स्वास्थ्य जांच, उपचार, पोषण तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। दसवीं योजना के अंत तक यह कार्यक्रम 2000 प्रखंडों में लागू हो जायेगा।

संदर्भ

1. उमेश चन्द अग्रवाल–''देश के बाल संरक्षण एवं कल्याण की रणनीति और प्रभाव''–योजना नवम्बर 2002, पृष्ठ **12.**
2. वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रयोग द्वारा संकलित सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 2003, पृष्ठ **111.**
3. प्रतियोगिता दर्पण।
4. आहूजा राम ''सामाजिक समस्यायें, बाल दुर्व्यवहार और बालश्रम–रक्त पब्लिकेशनः जयपुर, नई दिल्ली।
5. भगोलीवाला, टी0एन0–श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक सम्बन्ध, डिस्ट्रीब्यूटर्स।
6. राय, दिनेश. (1790). ''इन्टीग्रेटिव रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम''. डी0के0 पब्लिशर्स प्रा0लि0: नई दिल्ली।